



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2379]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2019/आषाढ़ 31, 1941

No. 2379]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2019/ASHADHA 31, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2019

**का.आ. 2609(अ).**—यतः, मै. सनड्यू प्रोपर्टीज लिमिटेड (पूर्वतः मै. के. रहेजा आई.टी. पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड एवं मै. सनड्यू प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड), ने आन्ध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) राज्य के रंगारेड्डी जिले में हाईटेक सिटी, माधापुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1770(अ) दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 एवं का.आ. 1928(अ) दिनांक 06 अगस्त, 2010 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 16.29 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 1.82 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने नाम में परिवर्तन मै. के. रहेजा आई.टी. पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड से मै0 सनड्यू प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एवं मै. सनड्यू प्रोपर्टीज लिमिटेड के प्रस्तावों को स्वीकृत किया था;

और यतः, मै. सनड्यू प्रोपर्टीज लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.45 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र सं. 78/आईटी-सी/प्रोम2/2006 दिनांक 22 जून, 2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम, एसईजेड, ने विशेष आर्थिक जोन के 0.45 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले में हाईटेक सिटी, माधापुर में विशेष आर्थिक जोन में से 0.45 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 14.02 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

**अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका**

क्रम.सं.	स्थान	सर्वेक्षण नम्बर	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	माधापुर	64 (भाग)	0.45
कुल			0.45
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			14.02

[फा. स. एफ. 2/25/2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2019

**S.O. 2609(E).**—Whereas, M/s. Sundew Properties Limited (formerly M/s. K. Raheja IT Park (Hyderabad) Private Limited & M/s. Sundew Properties Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Hi-tech City, Madhapur, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Andhra Pradesh (now Telangana);

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified 16.29 hectares and de-notified 1.82 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1770(E) dated 16<sup>th</sup> October, 2006 and S.O. 1928(E) dated 06<sup>th</sup> August, 2010 respectively;

AND, WHEREAS, the Central Government approved the requests of change of name from M/s. K. Raheja IT Park (Hyderabad) Private Limited to M/s. Sundew Properties Private Limited and to M/s. Sundew Properties Limited;

AND, WHEREAS, M/s. Sundew Properties Limited has now proposed for de-notification of 0.45 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal *vide* letter No. 78/IT&C/Prom2/2006 dated 22<sup>nd</sup> June, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.45 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 0.45 hectares** at Hi-tech City, Madhapur, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Telangana, thereby making the resultant area as **14.02 hectares**, comprising the survey number and the area given below in the table, namely:-

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of the Location</b>	<b>Survey No.</b>	<b>Total area in Hectares</b>
1.	Madhapur	64 (Part)	0.45
	<b>Total</b>		<b>0.45</b>
	<b>Grand Total Area of SEZ after above deletion</b>		<b>14.02</b>

[F. No. F. 2/25/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.